



भारतीय स्टेट बैंक

केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग,
कोर्पोरेट केंद्र, मुंबई

(फोन: 022-2282 0427; ईमेल: crpd@sbi.co.in)



HR AWARDS & ACCOLADES



ET HUMAN CAPITAL AWARDS

- HR Leader of the Year – Large Scale Organization
- Excellence in Business Continuity Planning & Management
- Most Valuable Employer during COVID 19

MARKSMEN DAILY AWARDS

- Most Preferred Workplace 2023-24

GREENTECH HR AWARDS 2023

- Transformative HR Practices Award
- Employee Engagement Award
- Learning & Development Award
- Compensation & Benefits Award

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती

विज्ञापन संख्या: CRPD/PO/2023-24/19

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण: 07.09.2023 से 27.09.2023 तक

भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारियों (पीओ) के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं पर भी पदस्थ किया जा सकता है।

- भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण करने की आकांक्षा रखनेवाले संभावित उम्मीदवार पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन शुल्क का भुगतान, बुलावा पत्र जारी करना, परीक्षा/साक्षात्कार की प्रक्रिया एवं पैटर्न, आदि के संबंध में विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन कर सकते हैं और सुनिश्चित करें कि निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करें।
- उम्मीदवारों को वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी, जब आवेदन शुल्क को जमा करने की अंतिम तिथि (27.09.2023) या उससे पूर्व बैंक में ऑनलाइन जमा कर दिया गया हो।
- उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अन्य विवरण एवं अद्यतन सूचना हेतु बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> को नियमित रूप से देखें। विज्ञापन में होने वाले किसी परिवर्तन/अद्यतन सूचना को अलग से विज्ञापित/सूचित नहीं किया जाएगा। सभी परिवर्तन/अद्यतन/शुद्धि पत्र केवल बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> पर ही होस्ट किया जाएगा।
- पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता की तारीख को पद के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम होगा जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने की शर्त के अधीन होगा। उम्मीदवार को केवल ई-प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि पद के लिए उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। बैंक उम्मीदवार के साक्षात्कार के लिए अहंता प्राप्त करने के बाद ही और साथ ही कार्यग्रहण करने के समय मूल दस्तावेजों के संबंध में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।
- पात्र उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना है जो तीन चरणों में होगी, यथा - (i) चरण-I; (ii) चरण-II; और (iii) चरण-III। चुने गये उम्मीदवारों को चरण-I के बाद चरण-II में शामिल होना होगा। चरण-II में चुने गये उम्मीदवारों को बाद में चरण-III के लिए बुलाया जायेगा।
- क्रीमी लेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य दर्शानी चाहिए।
- ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को वित्तीय वर्ष 2022-23, 2021-22 और 2020-21 के लिए आय के आधार पर और (वित्तीय वर्ष 2022-23 के पूरा होने के बाद) 01 अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी किया गया ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार के पास साक्षात्कार की तारीख को या उससे पहले आरक्षण का लाभ उठाने के अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक ओबीसी प्रमाणपत्र होना चाहिए। उक्त तारीख के बाद 'ओबीसी प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने के लिए समय दस्तावेज सत्यापन की तारीख को निर्धारित प्रारूप में 'आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34, संदर्भित दिव्यांगजन (PwBD) के तहत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए वैध आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उठाया जा सकता है। उम्मीदवार के पास साक्षात्कार के समय दस्तावेज सत्यापन की तारीख को निर्धारित प्रारूप में विफल रहता है, तो बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- सिबिल (**CIBIL**): जिन उम्मीदवारों ने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि सहित बैंकों या एनबीएफसी के साथ किसी भी उधार व्यवस्था के तहत चुकौती में चूक की है और बैंक द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख तक उनके बकाया को नियमित/चुकाया नहीं है, वे पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नियुक्ति प्रस्ताव-पत्र जारी होने की तारीख को या उससे पहले इस तरह के बकाया को नियमित कर लिया है/चुका दिया है, लेकिन जिनकी सिबिल (**CIBIL**) स्थिति को तब तक अपेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं किया गया है, उन्हें शामिल होने की तारीख को या उससे पहले या तो सिबिल की स्थिति को अपेंट करना होगा या क्रेडिट कार्ड के बाद जारी किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के समय दस्तावेज सत्यापन की तारीख को निर्धारित प्रारूप में 'आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- सिबिल (**CIBIL**): जिन उम्मीदवारों ने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि सहित बैंकों या एनबीएफसी के साथ किसी भी उधार व्यवस्था के तहत चुकौती में चूक की है और बैंक द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख तक उनके बकाया को नियमित/चुकाया नहीं है, वे पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नियुक्ति प्रस्ताव-पत्र जारी होने की तारीख को या उससे पहले इस तरह के बकाया को नियमित कर लिया है/चुका दिया है, लेकिन जिनकी सिबिल (**CIBIL**) स्थिति को तब तक अपेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं किया गया है, उन्हें शामिल होने की तारीख को या उससे पहले या तो सिबिल की स्थिति को अपेंट करना होगा या क्रेडिट कार्ड के बाद जारी किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के समय दस्तावेज सत्यापन की तारीख को निर्धारित प्रारूप में 'आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सकल वार्षिक आय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी और वर्ष 2023-24 के लिए वैध आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उठाया जा सकता है। उम्मीदवार के पास साक्षात्कार के समय दस्तावेज सत्यापन की तारीख को निर्धारित प्रारूप में विफल रहता है, तो बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34, संदर्भित दिव्यांगजन (PwBD) के तहत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए वैध आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उठाया जा सकता है। उम्मीदवार के पास साक्षात्कार के समय दस्तावेज सत्यापन की तारीख को निर्धारित प्रारूप में विफल रहता है, तो बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- सिबिल (**CIBIL**): जिन उम्मीदवारों ने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि सहित बैंकों या एनबीएफसी के साथ किसी भी उधार व्यवस्था के तहत चुकौती में चूक की है और बैंक द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख तक उनके बकाया को नियमित/चुकाया नहीं है, वे पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नियुक्ति प्रस्ताव-पत्र जारी होने की तारीख को या उससे पहले इस तरह के बकाया को नियमित कर लिया है/चुका दिया है, लेकिन जिनकी सिबिल (**CIBIL**) स्थिति को तब तक अपेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं किया गया है, उन्हें शामिल होने की तारीख को या उससे पहले या तो सिबिल की स्थिति को अपेंट करना होगा या क्रेडिट कार्ड के बाद जारी किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के समय दस्तावेज सत्यापन की तारीख को निर्धारित प्रारूप में विफल रहता है, तो बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सकल वार्षिक आय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी और वर्ष 2023-24 के लिए वैध आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उठाया जा सकता है। उम्मीदवार के पास साक्षात्कार के समय दस्तावेज सत्यापन की तारीख को निर्धारित प्रारूप में विफल रहता है, तो बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सकल वार्षिक आय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी और वर्ष 2023-24 के लिए वैध आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उठाया जा सकता है। उम्मीदवार के पास साक्षात्कार के समय दस्तावेज सत्यापन की तारीख को निर्धारित प्रारूप में विफल रहता है, तो बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ कार्मिक एवं प्रश

(ख) आयु सीमा: (01.04.2023 तक)

दिनांक 01.04.2023 को उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् उम्मीदवार का जन्म दिनांक 02.04.1993 से पहले और 01.04.2002 के पश्चात नहीं होना चाहिए (दोनों दिन समाविष्ट).

ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार होगी:

क्र.	श्रेणी	आयु में छूट
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2.	अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3.	बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	पीडब्ल्यूबीडी (अजा/अजजा) 15 वर्ष
		पीडब्ल्यूबीडी (अपिव) 13 वर्ष
		पीडब्ल्यूबीडी (सामान्य/ईंडब्ल्यूएस) 10 वर्ष
4.	आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ)/अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (एसएसीओ) सहित भूतपूर्व सैनिक बशर्ते आवेदनकर्ता ने सैन्य सेवा में लगातार कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो और जो निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा होने पर सेवामुक्त किए गए हैं (इनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा होने वाला है) किंतु उनमें वे भूतपूर्व सैनिक शामिल नहीं हैं जिन्हें कदाचार या अकुशलता या शारीरिक अक्षमता के कारण सेवामुक्त किया गया है अथवा जो सैन्य सेवा से संबंधित अंगता या अशक्तता के कारण सेवामुक्त कर दिए गए हैं।	5 वर्ष

टिप्पणी: आयु सीमा संबंधी छूट उपर्युक्त मदों या विभिन्न मदों के अंतर्गत दर्शायी गई अन्य आयु सीमा की छूटों को मिलाकर नहीं दी जाएगी।

आयु सीमा में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को यदि वे इस योग्य पाए जाते हैं, तो जरूरी प्रमाणपत्र (पत्रों) की प्रतियां साक्षात्कार/कार्य-ग्रहण करते समय प्रस्तुत करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के पश्चात, किसी उम्मीदवार की श्रेणी में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। इस संबंध में किसी पत्र-व्यवहार/ई-मेल/फोन पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. शारीरिक रूप से दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्तियों के लिए आरक्षण:

दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 4 प्रतिशत का समस्तरीय अरक्षण दिया गया है। यह पद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की अनुसूची में परिभाषित और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दिव्यांगता की निम्नलिखित श्रेणियों वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त निर्धारित किया गया है:-

क. दृष्टि बाधित (वीआई): केवल वे ही दृष्टिहीन दिव्यांग (वीआई) व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जो बेहतर स्थिति में आने से पहले निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से ग्रस्त रहे हैं:-

अ. दृष्टिहीनता:

- i. पूर्णतः दृष्टिहीन होना या
- ii. वास्तव में दृष्टि सुधारात्मक लैंस के साथ बेहतर आंखों में 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से अधिक न हो अथवा
- iii. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा विरुद्ध दिशा में 10 डिग्री के कोण बनाती हो या उससे भी कम। अथवा

ब. कम दृष्टि:

- i. वास्तविक दृष्टि सुधार के बाद दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से कम न हो।
- ii. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा विरुद्ध दिशा में 40 से 10 डिग्री के कम के कोण बनाती हो।

ख. श्रवण बाधित (एचआई): केवल वे ही श्रवण बाधित (एचआई) व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जो बेहतर स्थिति में आने से पहले निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से ग्रस्त रहे हैं:-

क. बधिर: वे व्यक्ति जिनके दोनों कानों की श्रवण क्षमता 70 डीबी से कम रह गई हो।

ख. ऊँचा सुनना: वे व्यक्ति जिनके दोनों कानों की श्रवण क्षमता की हानि 60 डीबी से 70 डीबी हो गई हो।

ग. चलने की अशक्तता (एलडी): केवल वे व्यक्ति चलन दिव्यांगता (एलडी) श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं जो प्रमित्तिक घाट, कुछ रोग मुक्त, बौनापन, पेशीय दुष्प्रोषण और तेजाब हमले से पीड़ित, रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) बिना किसी संबंधित न्यूरोलॉजिकल/अंग की शिथिलता या तंत्रिका तंत्र या दोनों की पीड़ा के परिणामस्वरूप स्वयं के संचलन और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थ हैं। निम्नलिखित बैंचमार्क वाले दिव्यांग व्यक्ति गतिशील अशक्तता में शामिल होते हैं:-

उपयुक्त श्रेणी	कार्यात्मक अपेक्षारां	संदर्भ
ओए - एक हाथ प्रभावित (दाहिना या बायां)	S बैठना	राजपत्र अधिसूचना सं. 38-16/2020-DD-III दिनांक 4 जनवरी 2021, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय (दिव्यांगजन)
बीए - दोनों भुजाएं	W चलना	
ओएल - एक पैर प्रभावित (दाहिना या बायां)	MF उँगली कौशल	
बीएल - दोनों पैर प्रभावित किंतु हाथ प्रभावित नहीं	RW पदना व लिखना	
ओएएल - एक हाथ और एक पैर प्रभावित	SE देखना	
सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एसी, एसडी(एम), एमआई	C संप्रेषण	

क. 'जिनके कुष्ठ ठीक हो चुके हों' (एलसी) से आशय उस व्यक्ति से है, जिसका कुष्ठ ठीक हो गया है, परंतु वह निम्नलिखित प्रभाव से ज़ब्द रहा है:-

i. हाथों या पैरों में संवेदना की कमी के साथ-साथ आंखों और पलकों में संवेदना की कमी व पक्षाघात होना, परंतु कोई स्पष्ट विकृति न होना।

ii. स्पष्ट विकृति और पक्षाघात होने पर भी जिसके हाथ और पैर सामान्य आर्थिक कार्यकालाप करने में सक्षम हों।

iii. चरम शारीरिक विकृति के साथ-साथ उसका कम उप्र का होना, जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकता हो, वहाँ, 'कोढ़ ठीक हो गया है' भाव को उसी अनुसार समझा जाएगा।

ख. 'सरेब्रल पाल्सी' (सीपी) का आशय उस गैर-विकसनशील न्यूरोजीकल स्थिति से है जो शरीर और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है। इससे मस्तिष्क को कोई एक या अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह प्रायः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद होता है।

ग. 'बौनापन' (डीडब्ल्यू) से आशय ऐसी चिकित्सकीय या जेनेटिक स्थिति से है, जिससे किसी व्यक्ति की लम्बाई 4 फुट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम रह जाती है।

घ. 'मांसपेशीय दुर्बिकार' (एमडीवाई) से आशय ऐसे अनुवांशिक जेनेटिक मांसपेशीय रोग समूह से है जो उन मांसपेशियों को कमजोर करता है, जिनसे मानव शरीर गतिशील होता है। बहु मांसपेशीय दुर्बिकार से पीड़ित व्यक्ति को अपने जीन के बारे में गलत और अधूरी जानकारी होती है, जिससे उनकी स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बननी बाधित हो जाती है। इसे विकसनशील स्केलेटल मांसपेशीय कमजोरी के रूप में माना जाता है, यह मांसपेशीय प्रोटीन को कुप्रभावित करती है, इससे मांसपेशीय सेल और टिंश्युज मृत हो जाते हैं।

ड. 'एसिड अटैक पीडित' (एवी) से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो एसिड या इसी तरह के क्षयकारी तत्व फैक्ने से कुरुप हो गया है।

घ. 'डी एंड ई': केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, वे इस श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं:-

क. "विशिष्ट अधिगम अक्षमता" (एसएलडी) से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने में कमी विद्यमान होती है जो समझने, बोलने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डायसेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकैलकुलिया तथा विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी हैं।

ख. "मानसिक रुग्णता" (एमआई) से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

ग. "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसोर्डर (अत्यल्प)" - एसडी (एम) से एक ऐसी न्यूरो-विकास संबंधित स्थिति

3. श्रेणी:

ऑनलाइन आवेदन करते समय श्रेणी का नाम एवं श्रेणी कोड लिखने संबंधी निर्देश:

कृपया ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण करने के बाद श्रेणी में बदलाव नहीं किया जायेगा।

उम्मीदवार जो अन्य पिछड़े वर्ग के हों लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आते हों उन्हें आरक्षण तथा आयु-सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे उम्मीदवार अपनी श्रेणी 'सामान्य' अथवा 'सामान्य (अस्थि अशक्तता)' अथवा 'सामान्य (दृष्टि बाधित)' अथवा 'सामान्य (श्रवण बाधित)' अथवा 'सामान्य (डी और ई)' (जो भी लागू हो) के रूप में दर्शाएं।

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' के प्रस्तुतीकरण पर उठाया जा सकता है।

श्रेणी	कोड	श्रेणी	कोड	श्रेणी	कोड	श्रेणी	कोड
अ.जा.	01	अ.ज.जा.	06	अ.पि.व.	11	सामान्य	16
अ.जा. (एलडी)	02	अ.ज.जा. (एलडी)	07	अ.पि.व. (एलडी)	12	सामान्य (एलडी)	17
अ.जा. (वीआई)	03	अ.ज.जा. (वीआई)	08	अ.पि.व. (वीआई)	13	सामान्य (वीआई)	18
अ.जा. (एचआई)	04	अ.ज.जा. (एचआई)	09	अ.पि.व. (एचआई)	14	सामान्य (एचआई)	19
अ.जा. (डी और ई)	05	अ.ज.जा. (डी और ई)	10	अ.पि.व. (डी और ई)	15	सामान्य (डी और ई)	20
						ईडब्ल्यूएस (डी और ई)	25

4. चयन प्रक्रिया:

परिवीक्षाधीन अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया तीन चरणों में होगी।

चरण- I : प्रारंभिक परीक्षा:

प्रारंभिक परीक्षा जिसमें ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा 100 अंक की होगी। परीक्षा में निम्नानुसार 3 खण्ड होंगे (प्रत्येक खण्डों के लिए अलग-अलग समय सहित):

क्र.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अंक	अवधि
1.	अंग्रेजी भाषा	30	कुल अधिकतम अंक 100	20 मिनट
2.	मात्रात्मक योग्यता	35		20 मिनट
3.	तर्कज्ञान क्षमता	35		20 मिनट
	कुल	100		1 घंटा

मुख्य परीक्षा के लिए चयन का मानदंड: प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। कोई सेक्शनल कट-ऑफ नहीं होगा। मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सूची, हर वर्ग में, मेरिट में ऊपर से कुल रिकियों की 10 गुना (लगभग) तैयार की जाएगी।

चरण-II: मुख्य परीक्षा:

मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जायेगी और उसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा 200 अंकों की और वर्णनात्मक परीक्षा 50 अंकों की होगी। वर्णनात्मक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा पूरी होने के तत्काल बाद आयोजित की जायेगी और उम्मीदवारों को वर्णनात्मक परीक्षा के उत्तर कंप्यूटर में टाइप करने होंगे।

(i) **वस्तुनिष्ठ परीक्षा:** वस्तुनिष्ठ परीक्षा की अवधि 3 घंटों की होगी और उसमें 200 अंकों के 4 खण्ड होंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक खण्ड के लिए अलग-अलग समय होगा।

क्र.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
I	तर्क और कंप्यूटर योग्यता	40	50	50 मिनट
II	डाटा विश्लेषण और विवेचन	30	50	45 मिनट
III	सामान्य/अर्थव्यवस्था/बैंकिंग के बारे में जानकारी	50	60	45 मिनट
IV	अंग्रेजी भाषा	35	40	40 मिनट
	कुल	155	200	3 घंटा
(ii) वर्णनात्मक पेपर				
अंग्रेजी भाषा (पत्र लेखन और निबंध)		2	50	30 मिनट
कुल योग			250	

गलत उत्तरों के लिए दंड (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, दोनों के लिए लागू):

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अंकित किए गए गलत उत्तरों के लिए दंड होगा। सही स्कोर को प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार द्वारा दिए गए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए निर्दिष्ट अंकों से एक चौथाई अंक दंड के तौर पर काटे जाएंगे। यदि प्रश्न को छोड़ दिया गया हो, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा किसी भी उत्तर को अंकित न किया गया हो, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा।

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सेक्शनल अंक का रखरखाव नहीं किया जायेगा।

चरण- III के लिए चयन का मानदंड:

चरण- II (मुख्य परीक्षा) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। कोई सेक्शनल कट-ऑफ नहीं होगा। चरण- III के लिए उम्मीदवारों की सूची वर्गवार में मेरिट में ऊपर से कुल रिकियों की 3 गुना (लगभग) तैयार की जाएगी। बशर्ते उम्मीदवार ने बैंक द्वारा निर्णीत न्यूनतम कुल अंक प्राप्त किए हों।

चरण- III में (i) साइकोमेट्रिक टेस्ट (ii) समूह अभ्यास और (iii) साक्षात्कार शामिल हैं।

साइकोमेट्रिक टेस्ट:

बैंक उन उम्मीदवारों के व्यक्तिगत प्रोफाइलिंग के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट आयोजित करेगा, जिन्हें चरण- III के लिए शॉर्टिलिस्ट किया जाएगा। उम्मीदवारों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखने के लिए परीक्षण के निष्कर्ष को साक्षात्कार पैनल के समक्ष रखा जा सकता है।

परीक्षण संरचना	समूह अभ्यास	साक्षात्कार	कुल
अधिकतम अंक	20	30	50

न्यूनतम अर्हता अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे।

अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में जिन उम्मीदवारों ने चरण- III के लिए अर्हता प्राप्त किए हैं। उन्हें 'नॉन क्रीमी लेयर' वाक्यांश वाला अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन उम्मीदवारों ने खुद को अपिव (ओबीसी) के रूप में पंजीकृत किया है, लेकिन ओबीसी 'गैर-क्रीमी लेयर' प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं ऐसे उम्मीदवारोंको सामान्य श्रेणी के तहत साक्षात्कार के लिए उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत चरण- III के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जिन उम्मीदवारों ने खुद को ईडब्ल्यूएस के रूप में पंजीकृत किया है, लेकिन डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं और सामान्य श्रेणी के तहत साक्षात्कार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

चरण- II (मुख्य परीक्षा, वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक परीक्षा दोनों) और चरण- III (समूह अभ्यास और साक्षात्कार) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 100 अंकों के लिए सामान्यीकृत किया जाएगा।

परीक्षण	मुख्य परीक्षा	समूह अभ्यास और साक्षात्कार	कुल
अधिकतम अंक	250	50	300
सामान्यीकृत अंक	75	25	100

चरण- II और चरण- III के अंकों को परिवर्तित कर कुल (100 में से) अंकों से अंतिम मेरिट सूची बनाई जाती है। प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से चयन किया जाएगा।

परिणाम का प्रकाशन</h

11. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवार **07.09.2023** से **27.09.2023** तक **केवल ऑनलाइन** आवेदन कर सकते हैं। किसी भी अन्य तरीके से किया गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए पूर्वपिक्षा: उम्मीदवार के पास वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखना होगा। यह वास्तव में बैंक से ई-मेल/एसएमएस के द्वारा कोई संप्रेषण/ बुलावा पत्र/ सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिशानिर्देश:

उम्मीदवारों को बैंक की कैरियर वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> के माध्यम से अपना पंजीकरण स्वयं ऑनलाइन करना होगा। पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को आवश्यक आवेदन शुल्क ऑनलाइन तरीके से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग से भरना होगा।

सहायता डेस्क: फार्म को भरने, फीस/सूचना प्रभार के भुगतान या प्रवेश कॉल लेटर की प्राप्ति के बारे में यदि कोई समस्या हो तो, फोन नं 022-22820427 पर (कामकाज के दिनों में सुबह 11.00 से शाम 6.00 के बीच) या <http://cgrs.ibps.in> पर अपना प्रश्न पूछा जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने ईमेल का विषय 'RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS IN STATE BANK OF INDIA-2023' लिखना न भूलें।

अ. पंजीयन और शुल्क (फीस) का भुगतान (केवल ऑनलाइन द्वारा):

i. अनुलग्नक-II में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार पहले फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तालिखित घोषणापत्र को स्कैन करें।

ii. हस्तालिखित घोषणा के लिए पाठ इस प्रकार है:

मैं.....(उम्मीदवार का नाम), जन्म तिथि.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। जब भी आवश्यक होगा, मैं सहायक दस्तावेज पेश करूंगा/करूंगी। हस्ताक्षर, फोटोग्राफ और बाएं अंगूठे का निशान मेरा है।

iii. बाएं अंगूठे का निशान: यदि किसी उम्मीदवार के पास बायां अंगूठा नहीं है तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है।

iv. उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> देखें और करंट ओपनिंग पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-प्रारूप को खोलें।

v. आवेदन-पत्र सावधानी से भरें। आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के बाद उम्मीदवार डाटा प्रस्तुत करें। प्रथम कोशिश में यदि उम्मीदवार डाटा पूर्णतः नहीं भर सकते हैं, तो पहले ही प्रविष्ट डाटा को सेव कर सकते हैं। पूर्ण/आंशिक रूप से पूर्ण आवेदन को सेव करने पर प्रणाली द्वारा एक अनन्तिम पंजीयन संख्या और पासवर्ड तैयार होगा और वह स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसे भलीभांति नोट किया जाना चाहिए। उम्मीदवार अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग कर अपने सेव किये गये आवेदन फॉर्म को पुनः खोल एवं संशोधित (यदि आवश्यक हो) कर सकते हैं। आवेदन-पत्र को एक बार पूर्णतः भरने पर अंतिम प्रस्तुति से पहले उम्मीदवार फॉर्म को भलीभांति जांच लें। इसके बाद कोई बदलाव/संशोधन की अनुमति नहीं है। इस स्तर पर पंजीकरण अनन्तिम है।

vi. आवेदन-पत्र में भरे विवरण सही हैं, यह पुनः जांच करने और सुनिश्चित करने के बाद आवेदन को स्क्रीन पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आवेदन-पत्र के साथ समन्वित पेमेंट गेट वे के माध्यम से भुगतान करना होगा।

vii. भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग से स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रस्तुत करने के बाद किया जा सकता है। ऑन लाइन भुगतान के लिए यदि कोई लेनदेन शुल्क हो, तो वह उम्मीदवार को अदा करना होगा।

viii. सफलतापूर्वक भुगतान पूर्ण होने पर, ई-रसीद एवं आवेदन पत्र तैयार होगा, जिसका प्रिंटआउट आवेदक अपने रेकार्ड हेतु ले लें।

ix. यदि ऑन लाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होता है, तो कृपया पुनः पंजीकरण करें। आवेदक ऑनलाइन लिंक पर जाएं और अपना आवेदन विवरण पुनः भरकर ऑनलाइन भुगतान करें।

x. ई-रसीद एवं फीस विवरण सहित आवेदन पत्र फिर से प्रिंट करने की सुविधा बाद में उपलब्ध होगी।

xi. कृपया आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट बैंक को न भेजें।

ब. फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान और हस्तालिखित घोषणा को स्कैन करने के लिए दिशानिर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को निम्न निर्देशित विशेष विवरण के अनुसार अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान एवं हस्तालिखित घोषणा की स्कैन (डिजिटल) इमेज अनुलग्नक-II के अनुसार बनानी होगी। उम्मीदवारों द्वारा यथा निर्दिष्ट फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान एवं हस्तालिखित घोषणा अपलोड किए बगैर ऑनलाइन आवेदन का पंजीयन नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक उम्मीदवार निर्दिष्ट के रूप में फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तालिखित घोषणा अपलोड नहीं करते।

नोट:

i. यदि फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे के निशान या हस्तालिखित घोषणा अस्पष्ट हैं, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

ii. यदि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तालिखित घोषणापत्र स्पष्ट नहीं हैं, तो उम्मीदवार फॉर्म जमा करने से पहले अपने आवेदन को संपादित कर सकता है और अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तालिखित घोषणापत्र को फिर से अपलोड कर सकता है।

12. कॉल लेटर डाउनलोड करें:

उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड/जन्म दिनांक की प्रविष्टि करके कॉल लेटर (पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण/प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साइकोमेट्रिक टेस्ट/जीई और साक्षात्कार) और ''एक्वाइंट योरसेल्फ बुकलेट'' डाउनलोड करें।

कॉल लेटर/एक्वाइंट योरसेल्फ बुकलेट की कोई भी हार्ड कॉपी डाक द्वारा नहीं भेजी जाएगी।

ध्यान दें: मुख्य परीक्षा के समय, उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के समय विधिवत आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रमाणित मूल प्रारंभिक परीक्षा कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित कॉपी के साथ) और साथ ही मुख्य परीक्षा कॉल लेटर लाना होगा। आवश्यक दस्तावेजों के साथ इन दस्तावेजों को मुख्य परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करना होगा।

उम्मीदवारों को ''एक्वाइंट योरसेल्फ बुकलेट'' और ''कॉल लेटर'' में दी गई जानकारी के अनुसार कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ दो अतिरिक्त फोटो (कॉल लेटर पर उम्मीदवार द्वारा चिपकाए गए फोटो के समान) लाने की आवश्यकता है।

कॉल लेटर पर बिना फोटो चिपकाए और दो अतिरिक्त फोटो (कॉल लेटर पर चिपकाए गए के समान) के बिना रिपोर्टिंग करने वाले उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा में बैठने होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. पहचान-पत्र की पुष्टि परीक्षा के समय प्रस्तुत करनी होगी।

उम्मीदवार अपने साथ एक मूल फोटो पहचान प्रमाण जैसे पासपोर्ट/आधार/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता कार्ड/विधिवत साक्षात्कारित कॉटो वाली बैंक पासबुक/स्कूल या कॉलेज/राजपत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान पत्र और उसकी स्वयं साक्षात्कारित कॉटोकापी भी लेकर आएं। पहचान-प्रमाण की फोटो कॉपी कॉल लेटर के साथ परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक को देनी होगी, ऐसा न करने पर उम्मीदवार की पहचान पर संदेह होने पर उस उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. बायोमेट्रिक सत्यापन:

बैंक विभिन्न स्तरों पर उम्मीदवारों के अंगूठे के निशान/आईआरएस स्कैन डिजिटल प्रारूप में ले सकता है, ताकि उम्मीदवार की प्रामाणिकता सत्यापित हो सके। किसी उम्मीदवार के नकली होने की बात सामने आने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उसकी उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया जाएगा। तदनुसार, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे उनके बुलावा पत्र में दिये गये दिशानिर्देशों का पालन करें।

यदि कोई भी उम्मीदवार असली नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, उसकी/उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

इसके अलावा, उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि वह अपने हाथों पर कोई बाहरी पदार्थ जैसे मैंहादी, स्याही, रसायन आदि न लगाएं।

15. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई

क. उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि ऐसा कोई विवरण न दें/संलग्न न करें जो असत्य, जाली/बनावटी हो या आवेदनपत्र भरते समय किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएँ।

ख. यदि लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय कोई उम्मीदवार निम्नलिखित बातों का दोषी पाया जाता है : (i) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करना या (ii) छद्म व्यक्ति बनकर छद्म व्यक्ति द्वारा परीक्षा देना या (iii) परीक्षा हॉल में दुर्घटवहार करना या (iv) उम्मीदवार

16. सामान्य सूचना :

- i. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रणाली द्वारा निर्मित अपने ऑन लाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट लें।
- ii. उम्मीदवार ने जिस पद के लिए आवेदन किया है, उस पद के लिए अपनी पात्रता के बारे में संतुष्टि करें ऐसे सभी उम्मीदवारों को ऑन लाइन आवेदन में प्रस्तुत जानकारी और आवश्यक फीस का भुगतान करने पर परीक्षा में शामिल होने की बैंक अनुमति देगा और साक्षात्कार के समय और/या बाद के चरणों में उनकी पात्रता को निर्धारित करेगा।
- iii. आवेदन पत्र में किसी भी विवरण (श्रेणी सहित) में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध, एक बार अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद, किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी पत्राचार/फोन/ईमेल पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन को ध्यान से भरें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- iv. उम्मीदवारों को सूचना दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से काफी पहले ऑन लाइन आवेदन करें और फीस का भुगतान करें ताकि इंटरनेट पर अतिभार से या वेबसाइट बंद होने से डिस्कनेक्शन/असहायता/वेबसाइट पर लॉग ऑन के लिए असमर्थता आदि न हो।
- v. ऊपर निर्दिष्ट कारणों से या एसबीआई के नियंत्रण के बाहर के कारणों से अंतिम तिथि के पहले आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थता होने वाले उम्मीदवारों की जिम्मेदारी एसबीआई की नहीं होगी।
- vi. उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत न करें। यदि उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन करता है, तो केवल अंतिम वैथ (पूर्ण) आवेदन मान्य होगा और आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार जो अन्य आवेदनपत्रों के लिए भरा है उसे जब्त किया जाएगा। उम्मीदवार की परीक्षा में/या समूह कार्य और साक्षात्कार के लिए अनेक बार उपस्थिति/प्रकटन मान्य नहीं होगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।
- vii. परीक्षा के आयोजन के समय कुछ प्रशासनिक समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका प्रभाव परीक्षा के आयोजन तथा/अथवा परिवर्तनों पर भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और ऐसे प्रयास में यदि आवश्यक हुआ तो दूसरी परीक्षा का आयोजन करना शामिल है।
- viii. प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर परीक्षा केंद्र पर एकत्र नहीं किया जाएगा। हालाँकि, ऐसे परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों द्वारा विधिवत जाँच/ प्रमाणित/ स्टांपित किया जाएगा। उम्मीदवार को कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित/ मुहर लगी प्रति के साथ) सुरक्षित रूप से अपने पास रखना होगा। जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, उन्हें “एकाइंट योरसेल्फ बुकलेट” और “कॉल लेटर” प्रदान की गई जानकारी के अनुसार विधिवत प्रमाणित मूल प्रारंभिक परीक्षा कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति के साथ) और साथ ही मुख्य परीक्षा कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे।
- ix. जो उम्मीदवार सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में कार्यरत हैं, उनको सूचना दी जाती है कि वे अपने नियोक्ता से ‘अनापति प्रमाणपत्र’ लेकर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें जिसके बिना उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और यात्रा किराया, यदि कोई हो, तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।
- x. चयन होने पर, नियुक्ति स्वीकारने के समय, उम्मीदवार को अपने पूर्व नियोक्ता से उचित कार्य-मुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xi. पात्रता मानदंड और जन्म तिथि के प्रमाण के बारे में मूल दस्तावेज साक्षात्कार की तारीख को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि साक्षात्कार की तारीख को सत्यापन के लिए मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो उम्मीदवार को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- xii. अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- xiii. उम्मीदवारों को सूचना दी जाती है कि वे सलाह प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल कनेक्शन सक्रिय रखें।
- xiv. ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लिखित हो कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। 01.04.2023 से साक्षात्कार की तिथि की अवधि के दौरान जारी ‘गैर-क्रीमी लेयर’ खंड से युक्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ओबीसी प्रमाण पत्र ऐसे उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।
- xv. मौजूदा डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ‘आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र’ के प्रस्तुतीकरण पर ईडब्ल्यूप्स श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है।
- xvi. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक द्वारा नियुक्त/अनुपोदित चिकित्सा अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ घोषित किए जाने के अध्यधीन होगी।
- xvii. इस विज्ञापन तथा/अथवा इसके प्रत्युत्तर में आने वाले आवेदन के कारण किसी दावे या विवाद होने की स्थिति में हर कानूनी कार्यावाही के लिए किसी भी दावे/विवाद पर वाद सिर्फ मुंबई में ही शुरू किया जाएगा तथा मुंबई में ही स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों को ही ऐसे वाद/विवाद निपटाने का एकमात्र तथा विशेष क्षेत्राधिकार रहेगा।
- xviii. साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले बाहरी उम्मीदवारों को उनके ठहरने के स्थान/तैनाती से साक्षात्कार की जगह तक भारत में सबसे छोटे मार्ग से रेलवे के एसी-III किराये या खर्च किये गये वास्तविक व्यय (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति की जायेगी। स्थानीय परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। उम्मीदवार के पद के लिए अयोग्य पाये जाने पर उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी और किसी प्रकार के किराये की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
- xix. बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी भी अवस्था में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दे।
- xx. साक्षात्कार के समय, उम्मीदवार को उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों (यदि कोई हों) का विवरण देना आवश्यक होगा। बैंक अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस रिकॉर्ड के सत्यापन सहित स्वतंत्र सत्यापन भी कर सकता है। बैंक ऐसे प्रकटनों और/या सत्यापन के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने को अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
- xxi. बैंक किसी भी चरण में (अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा/मानसिक दक्षता और कौशल परीक्षण/समूह अभ्यास/साक्षात्कार/चिकित्सा/कार्यग्रहण के दौरान) दस्तावेज़ सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

17. घोषणा :

इस प्रक्रिया से जुड़ी सभी भावी घोषणाएँ/ सूचनाएँ समय-समय पर केवल एसबीआई की अधिकृत वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> पर ही प्रकाशित/ उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में कोई अलग से विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जाएगा। सभी परिवर्तन/अपडेट/शुद्धिपत्र केवल बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> पर ही होस्ट किए जाएंगे।

18. दावा-परित्याग :

भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर इस बात का पता चलने पर कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है और या उसने कोई गलत जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण बात को छिपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। यदि इनमें से कोई बात नियुक्ति के बाद उजागर हो, तब भी उस उम्मीदवार की नौकरी रद्द की जा सकती है। पात्रता, लिखित परीक्षा, अन्य परीक्षाओं का आयोजन और चयन आदि मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और वह सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी रहेगा। इस बारे में किसी भी अभ्यावेदन या पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

किसी पूछताछ के लिए, कृपया हमसे लिंक "CONTACT US/post your query" लिंक के जरिए लिखें, जो बैंक की वेबसाइट (<https://bank.sbi/web/careers>) पर उपलब्ध है।

परीक्षा केंद्र (अनान्तिम सूची)

राज्य कोड	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र/प्रारंभिक परीक्षा केंद्र	मुख्य परीक्षा केंद्र
11	अण्डमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर
12	आंध्र प्रदेश	चिराला, चितूर, एलुरु, गुंटुर, कडप्पा, काकीनाडा, कर्नूल, नेल्लोर, ओंगोले, राजमुंद्री, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विजयवाडा, विशाखपट्टनम, विजयनगरम	गुंटुर, कुर्नुल, विजयवाडा, विशाखापट्टनम
13	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन	नाहरलगुन
14	অসম	ডिबরुগঢ়, গুবাহাটী, জোরাহট, সিলচৰ, তেজপুর	গুবাহাটী
15	বিহার	আরা, ঔরংগাবাদ (বিহার), ভাগলপুর, দরভংগা, গয়া, মুজফ্ফরপুর, পটনা, পুর্ণিয়া	আরা, পটনা, মুজফ্ফরপুর
16	চণ্ডীগঢ়	চণ্ডীগঢ়/মোহালী	চণ্ডীগঢ়/মোহালী
17	ছত্তীসগঢ়	ভিলাঈ, বিলাসপুর, রায়পুর	রায়পুর
18	গোৱা	পণজী	পণজী
19	গুজরাত	অহমদাবাদ/গাংথীনগর, আণাং, হিমতনগর, জামনগর, মেহসাণা, রাজকোট, সুরত, বড়োদরা	অহমদাবাদ/গাংথীনগর
20	হরিয়ানা	অংবালা, ফরীদাবাদ, গুরুগ্রাম	অংবালা, ফরীদাবাদ, গুরুগ্রাম
21	হিমাচল প্রদেশ	বিলাসপুর, হমীরপুর, কাঙড়া, কুলু, মংডী, শিমলা, সোলন, ঊনা	শিমলা, সোলন
22	জমু ও কশ্মীর	জমু, সাংবা, শ্রীনগর	জমু, শ্রীনগর
23	জ্বারখণ্ড	বোকারো, ধনবাদ, হজারীবাগ, জমশেদপুর, রাঁচী	জমশেদপুর, রাঁচী
24	কর্ণাটক	বেলগাম, বেংগলুরু, বিদর, দাবাংহে, ধারবাড়, গুলবার্গা, হাসন, হুবলী, মংড়লা, মাংলোর, মেসুর, শিমোগা, উডিপী	বেংগলুরু
25	কেরল	অলপুজ্জা, কন্নুর, কোথি, কোল্লাম, কোঙ্গায়ম, কোঞ্জিকোঠে, মলপুরম, পালককড়, ত্রিচুর, তিরুবনন্তপুরম	কোথি, তিরুবনন্তপুরম
26	লদাখ	লেহ	লেহ
27	লক্ষ্মীপ	কবরাতী	কবরাতী
28	মধ্য প্রদেশ	ভোপাল, গ্঵ালিয়র, ইন্দৌর, জবলপুর, সতনা, সাগর, উচ্চৈন	ভোপাল, ইন্দৌর
29	মহারাষ্ট্র	অমরাবতী, ছত্রপতি সংঘাজী নগর (ঔরংগাবাদ-মহারাষ্ট্র), চন্দ্রপুর, ধুলে, জঢ়াও, কোল্হাপুর, লাতূর, মুংবই/ঠাণে/নবী মুংবই, নাগপুর, নাংডেড, নাসিক, পুণে, রত্নাগিরী, সোলাপুর	ঔরংগাবাদ, নাগপুর, পুণে, মুংবই/ঠাণে/নবী মুংবই
30	মণিপুর	ইম্ফাল	ইম্ফাল
31	মেঘালয়	শিলাংং	শিলাংং
32	মিজোরাম	আইজবাল	আইজবাল
33	নাগালেংড	কোহিমা	কোহিমা
34	দিল্লী – এনসীআর	দিল্লী ও নई দিল্লী (সभী এনসীআর শহর)	দিল্লী ও নई দিল্লী
35	ओडিশা	বালাসোর, বরহমপুর (গংজম), ভুবনেশ্বর, কটক, ধেনকানাল, রাঊরকেলা, সংবলপুর	ভুবনেশ্বর
36	পুঁচেরী	পুঁচেরী	পুঁচেরী
37	পঞ্জাব	অমৃতসর, ভটিণ্ডা, ফতেগঢ়সাহিব, জালাংঘর, লুধিয়ানা, মোহালী, পঠানকোট, পটিয়ালা, সংগুরু	ভটিণ্ডা, জালাংঘর, লুধিয়ানা, মোহালী, পটিয়ালা
38	রাজস্থান	অজমের, অলবর, বীকানের, জয়পুর, জোধপুর, কোটা, সীকর, উদয়পুর	জয়পুর
39	সিকিম	বৰ্দংগ – গংগটোক	বৰ্দংগ – গংগটোক
40	তামিলনাড়ু	চেন্নাঈ, কোয়ম্বতূর, ইরোড, মদুরাঈ, নাগরকোইল, সলেম, তংজাবুর, তিরুচিরাপল্লী, তিরুনেলবেল্লী, ঵েল্লোর, ঵িরুদ্ধনগর	চেন্নাঈ, মদুরাঈ, তিরুনেলবেল্লী
41	তেলংগানা	হৈদরাবাদ, করীমনগর, খম্মাম, ঵ারংগল	হৈদরাবাদ
42	ত্রিপুরা	অগরতলা	অগরতলা
43	উত্তর প্রদেশ	আগরা, অলীগঢ়, প্রয়াগরাজ (ইলাহাবাদ), বেলী, বাঁদা, ফেজাবাদ, গাজিয়াবাদ, গোঁড়া, গোরখপুর, ঝাঁসী, কানপুর, লখনऊ, মথুরা, মেরঠ, মুরাদাবাদ, মুজফ্ফরপুর, নোঝা/গ্রেট নোঝা, সীতাপুর, বারাণসী	আগরা, প্রয়াগরাজ (ইলাহাবাদ), গাজিয়াবাদ, নোঝা/গ্রেট নোঝা, কানপুর, লখনऊ, মেরঠ, বারাণসী
44	উত্তরাখণ্ড	দেহরাদুন, হল্দিবানী, রুড়কী	দেহরাদুন
45	পশ্চিম বাংলা	আসনসোল, দুর্গাপুর, হুগলী, কল্যাণী, কোলকাতা, সিলিগুড়ী	হুগলী, কল্যাণী, কোলকাতা

फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को नीचे दिए गए विनिर्देशन के अनुसार अपने फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा की स्कैन (डिजिटल) इमेज रखना आवश्य होगा।

क. हस्तलिखित घोषणा के लिए पाठ इस प्रकार है:

मैं.....(उम्मीदवार का नाम), जन्म तिथि..... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। जब भी आवश्यक होगा, मैं सहायक दस्तावेज पेश करूँगा/करूँगी। हस्ताक्षर, फोटोग्राफ और बाएं अंगूठे का निशान मेरा है।

ख. बाएं अंगूठे का निशान: यदि किसी उम्मीदवार के पास बायां अंगूठा नहीं है तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है।

फोटोग्राफ (4.5cm × 3.5cm):

- फोटोग्राफ अद्यतन, पासपोर्ट साइज और रंगीन होना चाहिए।
- पिक्चर रंगीन होनी चाहिए और वह सफेद या फीकी रंगीन पार्श्वभूमि पर होनी चाहिए।
- स्वस्थ चित्त होकर कैमरे की ओर सीधे देखें।
- यदि फोटो सूर्योप्रकाश में ली जाएं तो सूरज आपके पीछे हो या आप छाया में खड़े हो, जिससे आपका फोटो साफ आए।
- अगर आपको फ्लैश का उपयोग करना पड़े तो 'रेड आई' न हो।
- अगर आप चश्मे का उपयोग करते हैं, तो आपकी आँखे साफ नजर आने के लिए चश्मे पर प्रतिबिंब न हो।
- टोपियाँ, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार पगड़ी स्वीकार्य है, पर उससे आपका चेहरा ढकना नहीं चाहिए।
- आयाम 200 x 230 पिक्सेल (वरीयतः)
- फाइल का साइज 20 केबी-50 केबी के दरम्यान हो।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की हुई फोटो की साइज 50 केबी से अधिक न हो। उसके बाद स्कैनर का सेटिंग समायोजित इस तरह करें कि डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि स्कैनिंग के समय ठीक हो।
- यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार उसी ही फोटो की लगभग 8 प्रतियां रखें जो आवेदन के समय अपलोड किया जाता है क्योंकि चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी।

हस्ताक्षर:

- उम्मीदवार सफेद कागज पर काले स्थाही के पेन से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार का हो, और किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर न हो।
- हस्ताक्षर का उपयोग कॉल लेटर पर या अन्यत्र जहाँ जरूरी हो, किया जाएगा।
- परीक्षा के समय यदि उत्तर पुस्तिका (स्क्रिप्ट) पर किए हुए उम्मीदवार के हस्ताक्षर कॉल लेटर के हस्ताक्षर से नहीं मिलते, तो आवेदक को अपात्र समझा जाएगा।
- आयाम 140 x 60 पिक्सेल (वरीयतः)
- फाइल की साइज 10 केबी-20 केबी हो।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन किए हुए हस्ताक्षर का आकार 20 केबी से अधिक न हो।
- कैपिटल अक्षरों में किया गया हस्ताक्षर स्वीकृत नहीं होगा।

बाएं हाथ के अंगूठे का निशान:

- आवेदक को एक सफेद कागज पर काली या नीली स्थाही से अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना होता है।
- **फाइल प्रकार:** जेपीजी/जेपीईजी
- आयाम: 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए) यानी 3cm x 3cm (चौड़ाई X ऊँचाई)।
- फाइल का आकार : 20 केबी - 50 केबी

हस्तलिखित घोषणा:

- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्थाही से अंग्रेजी में घोषणा स्पष्ट रूप से लिखनी होगी।
- **फाइल प्रकार:** जेपीजी/जेपीईजी
- आयाम: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए) यानी 10cm x 5cm (चौड़ाई X ऊँचाई)।
- फाइल का आकार : 50 केबी - 100 केबी
- अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

ध्यान दें:

- (i) सुनिश्चित करें कि फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर अपलोड की गई हो।
- (ii) फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा केवल आवेदक की होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- (iii) यदि परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक या बुलावा पत्र पर आवेदक का फोटो और हस्ताक्षर आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के समय अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा की स्कैनिंग:

- स्कैन का रिजोल्यूशन न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) सेट करें।
- असली कलर सेटिंग करें और फाइल साइज, जैसा उपर विनिर्दिष्ट किया गया है।
- फोटो/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा के किनारे तक स्कैनर में छवि को क्रॉप करें और उसके बाद अंतिम आकार (जैसाकि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है) तक छवि का क्रॉप करने के लिए अपलोड संपादक का उपयोग करें।
- प्रतिमा की फाइल जेपीजी या जेपीईजी फारमैट में हो। उदाहरण के लिए फाइल का नाम 'image01.jpg' अथवा 'image01.jpeg'. इमेज के आयाम की जांच फोल्डर फाइल का लिस्टिंग करके या माऊस को फाइल इमेज आईकॉन की ओर घुमाकर की जा सकती है।
- एमएस विडोजे/एमएस ऑफिस का उपयोग करने वाले उम्मीदवार एमएस पैट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके आवश्यक आकार से अनधिक रूप में दस्तावेजों को ".jpeg" प्रारूप में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। स्कैन किए गए फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा को किसी भी प्रारूप में फाइल मेनू में "Save As" विकल्प का उपयोग करके '.jpg' प्रारूप में सहेजा जा सकता है और आकार को crop and then resize विकल्प का उपयोग करके समायोजित किया जा सकता है।
- यदि फाइल साइज एवं फारमैट निर्धारित मानदंड के अनुसार नहीं है, तो त्रुटि संदेश (error) नजर आएगा।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को अपने फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।

फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने की कार्य प्रणाली:

- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक होंगे।
- संबंधित लिंक "Upload Photograph, Signature, Left-Hand Thumb Impression & Hand-Written Declaration" पर क्लिक करें।
- उस स्थान को ब्राउज करें और चुनें जहाँ स्कैन किए गए फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा फाइल को सहेजा गया है।
- क्लिक से फाइल सिलेक्ट करें।
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें।
- फाइल का आकार और फॉर्मेट निर्धारित रूप में न होने पर एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
- अपलोड की गई छवि का प्रीव्यू छवि की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट/धब्बे के मामले में, इससे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता लाकर फिर से अपलोड किया जा सकता है।

जब तक आप अपना फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और निर्दिष्ट के रूप में हस्तलिखित घोषणा अपलोड नहीं करते हैं, तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं होगा।

नोट:

- 1) यदि फोटो में चेहरा, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र स्पष्ट नहीं है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र को अपलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि छवियां स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड की गई हैं। यदि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो उम्मीदवार फॉर्म प्रस्तुत करने से पहले अपने आवेदन को संपादित कर सकता है और अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र को फिर से अपलोड कर सकता है।
- 2) ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के बाद, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम से जनरेट हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें।
- 3) उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो के स्थान पर फोटो, हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान के स्थान पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र के स्थान पर हस्तलिखित घोषणापत्र अपलोड किया जाता है। यदि फोटो के स्थान पर फोटो, हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर बाएं हाथ के अंगूठे के निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र के स्थान पर हस्तलिखित घोषणापत्र को ठीक से अपलोड नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।